# MACR & Preliminary Assessment

-DR KUMAR ASKAND PANDEY
RML NATIONAL LAW UNIVERSITY, LUCKNOW

#### **MACR**

- Refers to the minimum age above which a person is liable to penal sanctions for offences
- IPC dealt with it in two separate sections 82 and 83
- These provisions only by implication, provide for MACR as they occur in the chapter on "general exceptions"

- Sections 82 and 83 have survived changes in juvenile justice laws, including the JJ Act, 2015
- Even the Bharatiya Nyaya Sanhita Bill, 2023 suggests to retain both (new clauses 20 & 21)
- The argument that Sections 82 & 83 are impliedly repealed is further weakened

#### MACR & JJ Act

Uniform age of child set at 18 years

• In view of the introduction of new category of offences called heinous offences, and the dispositional orders prescribed in Ss. 18 and 19 of the JJ Act, it may be said that MACR has remained 7 years plus one day

## Preliminary assessment

• Introduced in 2015 to deal differently with children aged 16-18 accused of heinous offence

No PA if 16-18 is accused of petty or serious offence

No PA even if the 7-16 is accused of heinous offence

• PA for:

\*Mental capacity

\* Physical capacity

- \* Ability to understand the consequences of the offence and
- \*Circumstances in which the offence was committed

- The first two assessments are not complex and in most cases the result will be affirmative
- The third parameter is what shall require very careful assessment as the child aged 16 and above will KNOW that stabbing leads to death
- What is to be assessed is not only the immediate or long term consequences for the victim but both long term and short term consequences for the child as well

- Assessment or analysis of the circumstances in which the child allegedly committed the crime shall have two layers:
- (a) Circumstances of crime (momentary heat of passion; received provocation; was instigated by an adult accomplice etc.)

(a) Circumstances of the child (troubled childhood; past abuse; slow burning; extreme poverty; love/infatuation etc.)

 Only when all the boxes are ticked, the child may be transferred to the Children's Court

• Children's Court should always take a call on its own i.e. uninfluenced by the transfer order of the JJB

Different set of experts to be used

- Age determination is a very critical stage of PA
- The whole PA has to be completed within three months of first production [S. 14 (3)]
- Age determination should be ASAP, preferably within 15 days from first production
- Experts' aid mandatory if the JJB has no expert members (Barun Chand Thakur case, July 2022)

## Barun Chand Thankur case (How not to do PA)

Don't take only easily available evidence- dig deeper

 Don't deny the child reasonable opportunity to access and analyse the documents against him

• Don't deny the child the opportunity to crossexamine the experts for their opinion

 Don't use Age-inappropriate psychological tools for making assessment

• Don't use IQ (average or below par) a ground for inference of mental capacity

- What weighed before the High Court was:
- (i) There was violation of principles of natural justice and fair play as adequate opportunity was not provided;
- (ii) Copies of documents relied upon by the Board were not provided to the Respondent;
- (iii) The reports of the experts were incomplete;
- (iv) The recommendation by the expert to refer the child to higher organization for assessment was not acted upon by the Board;
- (v) The two tests conducted by the experts were apparently not relevant and related to children of different ages;

 (vi) That the Board and the Children's Court had no material before them to assess as to how the Respondent knew the consequences of the offence and also the circumstances in which he allegedly committed the offence; and

• (vii) The findings by the Board and the Children's Court were without any material and reasoning.

- SIR (elaborate with opinions)
- Psychologist's report
- Natural justice
- Access to all material considered by the JJB or Children's Court (S. 99 not to apply)
- Time line to be strictly followed by all the functionaries

• No PA till all material/report under R. 10 (5) available

 The PA to look into the ability to understand the "consequences" of the offence and not merely immediate consequence

## **NCPCR** Guidelines

- SIR
- SBR
- ICP

Witness report by CWPO

Interaction

- Final report to include:
- (a) JJB's decision on transfer of trial;
- (b) socio- demographic details of the child;
- (c) whether the child also qualifies as a child in need of care and protection;
- (d) details of the procedure followed by the JJB, psychologists and other experts (if any) including the psychological tests administered;

- (e) reason for including or excluding the observations recorded in the SIR, SBR, witness report; but MUST NOT include:
- (i) written/verbal statement of the child or other persons interviewed;
  - (ii) details of observations made during the assessment;
  - (iii) any kind of statement or document that could be incriminating in nature.

#### केस स्टडी

मु<u>oनंo— 62 / 2022</u> अपराध संख्या— 71 / 2022 धारा— 363,366,376(3),342,323,427,506 माठदंठसंठ ० 3 / 4 पॉक्सो एक्ट व 3(2)5 एस०सीठ / एस०टीठ एक्ट थाना— मोंठ जनपद— झांसी।

माननीय किशोर न्याय बोर्ड, झांसी में उपरोक्त वाद के अन्तर्गत किशोर अपचारी को प्रस्तुत किया गया । उक्त वाद जघन्य अपराध करने के कारण एवं किशोर की उम्र 16 वर्ष से अधिक होने पर मान्नीय प्रधान मजिट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, झांसी द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देख—रेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 (अधि.सं. 2 सन् 2016) धारा—15(1) के तहत मनोवैज्ञानिक, मनोसामाजिक कार्यकर्ताओं और अन्य विशेषज्ञों की सहायता से उनके मानसिक व शारीरिक क्षमता, अपराध के परिणामों को समझने की योग्यता और उन पर परिस्थितियों को जिनमें उसने अपराध किया था। उसके बारें में प्रारम्भिक निर्धारण हेतु आख्या मंगाई गई। आख्या आने के उपरान्त उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए एवं प्रारम्भिक जॉच करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि किशोर अपचारी घटना के समय शारीरिक रूप से स्वस्थ एवं अपराध कारित करने की मानसिक क्षमता रखता था एवं वह अपराध के परिणामों को समझता था। चूँकि उपरोक्त अपराध जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है, तथा किशोर अपचारी की आयु घटना के समय 16 वर्ष से अधिक थी। अतः किशोर न्याय बोर्ड, झांसी की राय में किशोर अपचारी का विचारण वयस्क के रूप में किया जाना न्यायोचित होगा।

किशोर न्याय (बालको की देख—रेख एवं संरक्षण) अधिनय, 2015 (अधि० सं० 2 सन् 2016) की धारा—18 (3) में यह अवधारित किया गया है कि जहां बोर्ड द्वारा धारा—15 (1) के अन्तर्गत प्रारंभिक जांच के उपरान्त इस निकर्ष पर पहुचता है कि किशोर का विचारण वयस्क के रूप में किया जाना चाहिए ,यहां बोर्ड वाद को विचारण हेतु क्षेत्राधिकार रखने वाले बालक न्यायालय को स्थानान्तरित कर सकता है।

जहां तक वालक न्यायालय का संबंध है तो किशोर न्याय (बालको की देख—रेख एवं संरक्षण) अधिनिय, 2015 (अधि0 सं0 2 सन् 2016) की धारा—2 (20) में पाक्सो एक्ट के अन्तर्गत स्पेशल कोर्ट को भी बालक न्यायालय की श्रेणी में रखा गया है।

अतः वाद को विचारण हेतु किशोर न्याय (बालको की देख—रेख एवं संरक्षण) अधिनिय, 2015 (अधि0 सं0 2 सन् 2016) की धारा—18 (3) के अधीन, बालक न्यायालय में विचारण हेतु स्थानान्तरण किया जाता है। किशोर अपचारी की पत्रावली नियमानुसार संबंधित स्पेशल कोर्ट, पाक्सो न्यायालय झांसी को प्रेषित की गई।

#### केस स्टडी

मु0नं0— 63 / 2022 अपराध संख्या— 221 / 2017 धारा— 363,366,376 भा०दं0सं0 3 / 4 पॉक्सो एक्ट धाना— टहरौली जनपद— झांसी।

माननीय किशोर न्याय बोर्ड,झांसी में उपरोक्त वाद के अन्तर्गत किशोर अपचारी को प्रस्तुत किया गया । उक्त वाद जघन्य अपराध करने के कारण एवं किशोर की उम्र 16 वर्ष से अधिक होने पर मान्नीय प्रधान मिंजट्रेट,किशोर न्याय बोर्ड, झांसी द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देख—रेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 (अधि.सं. 2 सन् 2016) धारा—15(1) के तहत मनोवैज्ञानिक, मनोसामाजिक कार्यकर्ताओं और अन्य विशेषज्ञों की सहायता से उनके मानसिक व शारीरिक क्षमता, अपराध के परिणामों को समझने की योग्यता और उन पर परिस्थितियों को जिनमें उसने अपराध किया था। उसके बारें में प्रारम्भिक निर्धारण हेतु आख्या मंगाई गई। आख्या आने के उपरान्त उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को वृष्टिगत रखते हुए एवं प्रारम्भिक जाँच करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि किशोर अपचारी घटना के समय शारीरिक रूप से स्वस्थ एवं अपराध कारित करने की मानसिक क्षमता रखता था एवं वह अपराध के परिणामों को समझता था। चूँिक उपरोक्त अपराध जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है, तथा किशोर अपचारी की आयु घटना के समय 16 वर्ष से अधिक थी। अतः किशोर न्याय बोर्ड, झांसी की राय में किशोर अपचारी का विचारण वयस्क के रूप में किया जाना न्यायोचित होगा।

किशोर न्याय (बालको की देख-रेख एवं संरक्षण) अधिनिय, 2015 (अधि0 सं0 2 सन् 2016) की धारा—18 (3) में यह अवधारित किया गया है कि जहां बोर्ड द्वारा धारा—15 (1) के अन्तर्गत प्रारंभिक जांच के उपरान्त इस निकर्ष पर पहुचता है कि किशोर का विचारण वयस्क के रूप में किया जाना चाहिए ,वहां बोर्ड वाद को विचारण हेतु क्षेत्राधिकार रखने वाले बालक न्यायालय को स्थानान्तरित कर सकता है।

जहां तक बालक न्यायालय का संबंध है तो किशोर न्याय (बालको की देख—रेख एवं संरक्षण) अधिनिय, 2015 (अधि० सं० 2 सन् 2016) की धारा—2 (20) में पाक्सो एक्ट के अन्तर्गत स्पेशल कोर्ट को भी बालक न्यायालय की श्रेणी में रखा गया है।

अतः वाद को विचारण हेतु किशोर न्याय (बालको की देख—रेख एवं संरक्षण) अधिनिय, 2015 (अधि० सं० 2 सन् 2016) की धारा—18 (3) के अधीन, बालक न्यायालय में विचारण हेतु स्थानान्तरण किया जाता है। किशोर अपचारी की पत्रावली नियमानुसार संबंधित स्पेशल कोर्ट, पाक्सो न्यायालय झांसी को प्रेषित की गई।

#### Final remarks

- NCPCR Guidelines are objective
- Every child is different
- Circumstances of crime must be looked into minutely
- Overarching guiding principles are, inter alia, "best interest", "diversion", "fresh start"